इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 2 नवम्बर 2019—कार्तिक 11, शक 1941

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2019

क्र. 2325-1335-2017-दस-2.—जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 37 की उपधारा (1) के साथ पठित मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 22 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार एतद्द्वारा, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप बनाती है, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, दिनांक 22 दिसम्बर 2018 को पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है, अर्थात् :—

प्रारूप अधिसूचना

यत:, नरो हिल्स मध्यप्रदेश के सतना जिले में स्थित है एवं प्रस्तावित 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है जो कि वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के स्वामित्व में है;

और, यतः, प्रस्तावित स्थल विलक्षण एवं विविध भूतत्व का है, जो बड़ी संख्या में पारिस्थितिकीय तंत्र एवं वनस्पति एवं प्राणियों की प्रजातियों को सहारा देता है जिनमें दुर्लभ ब्रायोफाइट्स एवं टेरिडोफाईट्स भी सिम्मिलित हैं;

और, यत:, स्थानीय समुदाय के पास दुर्लभ पारंपरिक ज्ञान है जिसका उपयोग वे औषधियों को बनाने के लिये करते हैं;

और, यतः, यह आवश्यक है कि पारिस्थितिक तथा जैव विविधता की दृष्टि से क्षेत्र के विस्तार तथा सीमाओं को संरक्षित तथा सुरक्षित किया जाए, जिसे जैव विविधिता विरासत स्थल की इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है;

अतएव, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 37 की उप-धारा (1) एवं सह पठित मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 22 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, स्थानीय निकायों तथा अन्य प्रमुख धारकों के परामर्श से, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, एतद्द्वारा, नरो हिल्स (पहाड़) को नीचे दी गई अनुसूची में ब्यौरे के अनुसार, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित करता है :—

अनुसूची

क्र	नाम	कुल क्षेत्रफल	स्थिति	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नरो हिल्स	200.00 हेक्टेयर	कक्ष क्रमांक पी–789, पी–790	बीट-मौहार परिक्षेत्र-सतना उप-वनमण्डल-सतना वन-मण्डल-सतना

मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड वन विभाग के सहयोग से निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1. जैव विविधता विरासत स्थल की प्राकृतिक वनस्पतियों एवं प्राणियों के संरक्षण हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना.
- 2. जैव विविधता संरक्षण हेतु वन विभाग के क्षेत्रीय अमले, वनवासियों तथा आदिवासियों की क्षमता वृद्धि कार्यक्रम करना.
- 3. अंतरस्थलीय एवं बाह्य स्थलीय संरक्षण से प्रजातियों का संवर्धन करना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर 2019

क्र. 2325-1335-2017-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2325-1335-2017-दस-2, दिनांक 31 अक्टूबर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एच. एस. मोहन्ता, सचिव.

Bhopal, the 31st October 2019

No. R-2325-1335-2017-X-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 37 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) read with sub-rule (1) of Rule 22 of the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004 and in consultation with the Madhya Pradesh State Biodiversity Board, the State Government, hereby, makes the following draft of notification, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 22nd December 2018 namely:—

DRAFT OF NOTIFICATION

WHEREAS, the Naro Hills are located in Satna district of Madhya Pradesh and the proposed site is spread over 200 hectare under the ownership of Forest Department, Government of Madhya Pradesh;

And, whereas, the proposed site has unique and varied geology and it supports a large number of ecosystem and species of flora and fauna including rare Bryophytes and Pteridophytes;

AND, WHEREAS, the local community has unique traditional knowledge which they use to make medicines;

AND, WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in the Schedule of this notification of Biodiversity Heritage Site from ecological and biodiversity point of view;

Now, THEREFORE, in exercise of the pwoers converred by sub-section (1) of the Section 37 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) and read with sub-rule (1) of Rule 22 of the Madhya Pradesh Biological Diversity Rules, 2004 in consultation with the local bodies and other key holders, the Madhya Pradesh State Biodiversity Board, hereby, notifies Naro Hills as Biodiversity Heritage Site as detailed in the Schedule below:—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name (2)	Total Area (3)	Location (4)	Jurisdiction (5)
1	Naro Hills	200.00 hectare	Compartment No. P-789, P-790	Beat—Mouhar Range—Satna Sub-Division—Satna Division—Satna

The Madhya Pradesh State Biodiversity Board shall undertake the following work in collaboration with Forest Department:—

- 1. The Management Plan for conservation of the natural flora and fauna of the Biodiversity Heritage Site area.
- 2. Capacity building programme(s) for front line staff of Forest Department, Forest Dwellers and Tribal's to conserve biodiversity.
- 3. The propagation of species for In-situ and Ex-situ conservation.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, H. S. MOHANTA, Secy.